



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य
***(पत्रांक-197/2022 दिनांक
17.07.2022)***

दिनांक- 17.07.2022 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

***अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही-(कुल-02)*
*थाना सेवरही-***

थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1.पिन्टू उर्फ हरेराम पुत्र गौतम साकिन सरगटिया करनपट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर, 2.अरविन्द यादव पुत्र जयप्रकाश साकिन सरगटिया करनपट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 96 शीशी फ्रूटी अंग्रेजी शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 192/2022/193/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)

थाना अहिरौली बाजार में आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2020 से 2021 तक कुल 41 मुकदमों में बरामद देशी शराब, कच्ची शराब आदि कीमत कुल 46,600/- हजार को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को अपने-अपने मालखाने पर आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराब को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी कसया श्री पीयूषकान्त राय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अहिरौली बाजार द्वारा मा0 न्यायालय से वर्ष 2020 से 2021 तक कुल 41 मुकदमों में बरामद अवैध शराब को नष्ट कराने का आदेश प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुक्रम में प्र0नि0 अहिरौली बाजार श्री पंकज कुमार गुप्ता द्वारा आज दिनांक 17.07.2022 को श्रीमान क्षेत्राधिकारी कसया श्री पीयूषकान्त राय, श्रीमान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री दूधनाथ जायसवाल महोदय एवं न्यायालय लिपिक श्री अमित श्रीवास्तव व अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण की उपस्थिति में थाना परिसर में जे0सी0बी0 के

माध्यम से 30 फीट के बड़े गहरे गड्ढे खुदवाकर कुल 41 मुकदमों में बरामद समस्त अवैध शराब (देशी, कच्ची) को गड्ढे में डलवाकर ऊपर से मिट्टी डालकर नष्ट करवाया गया। नष्ट किये गये कुल 41 मुकदमों में बरामद समस्त अवैध शराब की कीमत करीब 46,600 हजार रुपये है।

जिनके उपस्थिति में मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-

1. श्री पीयूषकान्त राय क्षेत्राधिकारी कसया जनपद कुशीनगर
2. श्री दूधनाथ जायसवाल सहायक अभियोजन अधिकारी कुशीनगर
3. श्री अमित कुमार मा० न्यायालय कसया प्रधान लिपिक कार्यालय कुशीनगर
4. प्र० नि० श्री पंकज कुमार थाना अहि० बाजार जनपद कुशीनगर
5. व० उ० नि० राजेश कुमार थाना अहि० बाजार जनपद कुशीनगर
6. हे० मु० चन्द्रमा यादव थाना अहि० बाजार जनपद कुशीनगर
7. का० बृजेश यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
8. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए- बृजेश यादव थाना अहि० बाजार कुशीनगर
9. का० उज्ज्वल प्रताप थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
10. का० विनोद कुमार यादव पैरोकार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
11. का० अभिषेक यादव पैरोकार थाना अहि० बाजार जनपद कुशीनगर

कसया पुलिस द्वारा दविश के दौरान लगभग 5 कुन्तल लहन किया गया नष्ट-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.07.2022 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा ग्राम भैंसहा सदर टोला में दविश के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर कुल 5000 लीटर लहन को नष्ट करते हुए 10 ली० कच्ची अवैध शराब बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थायनी पर मु० अ० सं० 595/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी-

1. कुल 10 लीटर अवैध कच्ची नजायज शराब बरामद
2. कुल 5000 लीटर अवैध लहन नष्ट किया गया

गिरफ्तारी करने वाले टीम-

1. प्र० नि० श्री सुधीर कुमार सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. व० उ० नि० श्री हरेराम सिंह यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
3. उ० नि० श्री मनोज कुमार वर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर।

- 4.का0 राहुल आजाद थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 5.का0 लालजीत यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 6.म0का0 पूनम चौधरी थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 7.म0का0 ममता थाना कसया जनपद कुशीनगर

3 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा (कुल कीमत लगभग 50000/- रुपये) के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध मादक/द्रव्य पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.07.2022 को थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा रेलवे पश्चिम ढाला कस्बा दुदही के पास से एक अभियुक्त विनोद कुमार जायसवाल पुत्र शिवजी सा0 कस्बा दुदही किराना मंडी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके पास से 3 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा कुल कीमत लगभग 50000/- रुपये की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 187/2022 धारा 8/20 NDPS Act में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विनोद कुमार जायसवाल पुत्र शिवजी सा0 कस्बा दुदही किराना मंडी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

3 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा (कुल कीमत लगभग 50000/- रुपये)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1.प्र0नि0 नरेन्द्र प्रताप राय थाना विशुनपुरा जिला कुशीनगर
- 2.उ0नि0 संतराज यादव थाना विशुनपुरा जिला कुशीनगर
- 3.का0 बृजेश यादव थाना विशुनपुरा जिला कुशीनगर
- 4.का0 श्रीकृष्ण मौर्य यादव थाना विशुनपुरा जिला कुशीनगर
- 5.का0 चंचल यादव थाना विशुनपुरा जिला कुशीनगर
- 6.का0 मानवेन्द्र यादव थाना विशुनपुरा जिला कुशीनगर
- 7.का0 रत्नाकर सिंह थाना विशुनपुरा जिला कुशीनगर



थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आरोप में 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.07.2022 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा ग्राम विजयपुर उत्तर पट्टी पश्चिम टोला के पास से **विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आरोप में 04 अभियुक्तों** 1.जितेन्द्र कुमार खटिक S/O अकलू खटिक सा0 देवीपुर योगी टोला थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार, 2.सुबाष कुमार खटिक, 3.अरविन्द कुमार खटिक पुत्रगण लालबाबू खटिक साकिन विजयपुर उत्तर पट्टी पश्चिम टोला, 4.उमाशंकर खटिक पुत्र स्व0 रामलाल खटिक सा0 चकियवाँ नेहरू नगर थाना कोतवाली देवरिया जिला देवरिया को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 230/2022 धारा 505 IPC में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.जितेन्द्र कुमार खटिक S/O अकलू खटिक सा0 देवीपुर योगी टोला थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण (बिहार)
- 2.सुबाष कुमार खटिक पुत्र लालबाबू खटिक साकिन विजयपुर उत्तर पट्टी पश्चिम टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 3.अरविन्द कुमार खटिक पुत्रगण लालबाबू खटिक साकिन विजयपुर उत्तर पट्टी पश्चिम टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 4.उमाशंकर खटिक पुत्र स्व0 रामलाल खटिक सा0 चकियवाँ नेहरू नगर थाना कोतवाली देवरिया जिला देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश पाठक थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
उ0नि0 श्री श्रवण कुमार यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
का0 विजय बहादुर सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
का0 धर्मेन्द्र यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
का0 अमरेन्द्र राय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
म0का0 रीता कुमारी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर



जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 31 नफर अभियुक्त को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-61 वाहन।
- 2.107/166 जो0 फौ0 में की गयी कार्यवाही मु0-60, व्यक्ति-217
- 3.वांछित /वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)
- 4.आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी-96 शीशी अंग्रेजी शराब।
- *5.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-39)***

***सोशल मीडिया
सेल*
*जनपद कुशीनगर***

